कुलसचिव
Registrar

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया
Jananayak Chandrashekhar University
Ballia

पत्रांक : JNCU–सम्बद्ध0 / 04 / 2017

दिनांक 30 मई, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
चौधरी कालेज ऑफ एजूकेशन,
बिशुनपुर, बसवां रतसीपट्टी,
बलिया।

विषय : महाविद्यालय बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 18.02.2017 के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–975 / 79–1–14–1(क) / 19 / 2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तरित / निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–2527 / सत्तर–2–2008–2 (168) 2002 दिनांक 10 जून 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 की संस्तुति एवं मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में चौधरी कालेज ऑफ एजूकेशन, बिशुनपुर, बसवां रतसीपट्टी, बलिया को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीट (02 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित प्रपत्र 'बी' में इंगित कमियों यथा महाविद्यालय का लीज–डीड का पेपर संलग्न न होने, महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि का प्रमाण मानक से कम होने, कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण न होने, बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 का परीक्षाफल न होने, बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रमाण न होने, सामूहिक नकल में आरोपित न होने, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का शपथ पत्र फोटोग्राफ मूलरूप में न होने, बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदित प्रवक्ता किसी अन्य संस्था में कार्यरत न होने का शपथ पत्र महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा मूलरूप में न होने, शिक्षकों का सी0पी0एड0 एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण आधार कार्ड के साथ न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2017 से दो वर्ष हेतु अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है –

1. महाविद्यालय तीन माह के अन्दर महाविद्यालय का लीज–डीड का पेपर संलग्न करने, महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि का अद्यतन प्रमाण, कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण, बी0एड0 पाठ्यक्रम सत्र 2015–16 का परीक्षाफल, बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का अद्यतन प्रमाण, सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का शपथ पत्र फोटोग्राफ मूलरूप में होने, बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अनुमोदित प्रवक्ता किसी अन्य संस्था में कार्यरत न होने का शपथ पत्र महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा मूलरूप में होने, शिक्षकों का सी0पी0एड0 एवं पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम के शिक्षकों का सम्पूर्ण विवरण आधार कार्ड के साथ होने का प्रमाण अवश्य प्रस्तुत करेगा।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा तथा निर्गत सम्बद्धता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
3. संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र हेतु होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को सम्यक रूप से पूर्ण करेगी और उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16 (92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।

...2

Scanned with CamS